Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministryös roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of July, 2020

1. The first instalment of XV FC Tied Grants to the tune of Rs.15187.50 Crore has been released for the Rural Local Bodies in 28 States on 15th July, 2020 for taking up various developmental work/activities in rural areas concerning supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation and maintenance of ODF status etc. States have been informed about the requirements to be fulfilled towards making recommendation for release of subsequent installments of the XV FC Untied and Tied Grants.

2. A meeting through Video Conference for the project proposal for Value Added, User Friendly Rural Vegetable Vending óSmart Cartô was held on 9th July, 2020 with the participation of Dr. Ketaki Bapat, Scientist óFô O/o, PSA, IIT, Delhi, IIT, Mumbai, IIT, Chennai and Senior Officers from MoPR.

3. A presentation on the Final Report of the Study on ñImpact Evaluation of FFC Grantsô Utilisation to the Gram Panchayatsò conducted by the Institute of Economic Growth (IEG), New Delhi was held on 22.7.2020. The findings of the study would be useful for follow-up actions by the States and also for further consideration by the XV Finance Commission.

4. With the assistance of UNICEF, service delivery standards towards Water, Sanitation and Hygiene (WASH) are being drafted towards assisting the Rural Local Bodies to utilize the XV FC Grants for targeted outcomes. Draft contract documents towards helping the RLBs for outsourcing the various WASH activities are also being prepared towards circulation to the States.

5. In pursuance of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan (GKRA), the utilization of unspent XIV FC/ XV FC Grants towards óconstruction of Gram Panchayat Bhawansô (GPBs) and óworks under Central Finance Commission(CFC)ô in six States are being followed up. Ministry of Panchayati Raj is also developing a Dashboard for regular monitoring of the progress of these two activities in all the six States. This Dashboard will be useful in monitoring and expediting the various stages of construction of GPBs and CFC works.

6. A committee under the Chairmanship of Dr. Bala Prasad, Ex- Special Secretary, Ministry of Panchayati Raj, has been constituted to prepare Framework for Preparation of District and

Intermediate Panchayat plans. The Committee held its first meeting on 30.7.2020 through Video Conference and deliberated on possible issues related to the preparation of detailed Framework of District and Intermediate Panchayat plans. On same day, committee separately interacted with the state representatives as well. The committee asked States to submit present status of plans along with the status of Own Source of Revenue (OSR) at District and Intermediate Panchayat level and related guidelines.

7. Funds to the tune of Rs.30.52 crore released to the States of Sikkim, Haryana, Uttarakhand and UT of Jammu and Kashmir out of approved Annual Action Plan for 2020-2021 under RGSA.

8. In the context of the 15th Finance Commission guidelines, the Gram Panchayat are in the process of revising their Annual Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) for 2020-21. Around 2,34,215 GPDPs have been revised and uploaded on e-Gram SWARAJ application as on 05.8.2020.

9. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2019-20, 93% of GPs have closed their month books and 88% of GPs have closed their year books.

10. Furthermore, 1,54,878 GPs have on-boarded PRIASoft-PFMS Interface; out of which 1,03,957 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission for 2019-20. For the year 2020-21; 1,12,149 GPs have transacted online using the Online Payment Module.

11. SVAMITVA Scheme was launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method. This would provide the ‘record of rights’ to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. In this regard, MoU has been signed between Survey of India (SoI) and Ministry of Panchayati Raj (MoPR) for implementation of SVAMITVA Scheme. Subsequently, tripartite MoU among MoPR, NIC and NICSI has also been signed. A meeting through Video conference (VC) was held with Pilot Phase States, SoI and NIC to discuss about the progress of scheme. Letters have been sent from Minister, Panchayati Raj to Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assembly (MLAs) of Pilot States for implementation of Scheme. Dashboard for online monitoring of Scheme also released. Orientation meeting was held with DC/DMs of Uttar Pradesh and orientation training videos in Hindi also shared with States defining the entire process and role expectations from the Elected Representatives, Revenue and Panchayat functionaries and the people. For regular mentoring and progress monitoring of the scheme, weekly meetings (through VCs) with States and SoI were also held. Furthermore, drone flying has been completed in 2495 villages; out of which data processing of survey data is completed for 1589 villages and feature extraction for 761 villages. Various IEC activities have also commenced in States.

12. Further, strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. In this regard, several online training and hand-holding sessions have been held to provide assistance to the States. Training has been provided to 11 States (Assam, Gujarat, Haryana, HP, Jharkhand, MP, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura & Uttarakhand). As a pilot, AuditOnline shall be utilized for the purpose of auditing Panchayat accounts for 14th Finance Commission for the FY 2019-20. For States to go live on AuditOnline, States are to provide pre-requisites viz. Audit flow, hierarchy data, risk-based categories etc. Information has been received from the States of Jharkhand, Telangana, Tripura, HP, Haryana, Chhattisgarh, MP, AP, Sikkim, Punjab, Maharashtra, Jammu and Kashmir, Gujarat and Goa. The configuration changes have been made for Jharkhand, Tripura, HP, Haryana, AP and Telangana. Registration of Auditors and preparation of Audit Plan for Auditing 14th Finance Commission accounts for Telangana, Jharkhand, Tripura, HP and AP is currently underway.

13. A video conferencing was held with States to update names of all the locations such as State, District, Villages, RLB, ULB etc in local language to prepare e-Governance applications multi-lingual and to resolve the pending discrepancy in LGD application.

14. The initiatives of Ministry of Panchayati Raj namely (i) MoU signed between the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 24/7/2020 to bring the SANKALP (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) initiative to Gram Panchayats, and (ii) release of Rs.15,187.50 crore as first installment of Tied Grants of Fifteenth Finance Commission (XV FC) Grants on 15/7/2020 by the Ministry of Finance to Rural Local Bodies (RLBs) were widely publicized through social media.

15. Through bulk SMS, 2.5 lakh Gram Panchayats were informed about Gram Panchayat-wise online availability of the Soil Health Card of Agri Farmers. MoPR continuously shared the IEC materials on positive Behavioral change Campaign titled ñबदलकर अपना □यवहार, करा□कोरोना पर वारò of Ministry of Health and Family Welfare and MyGov Corona Hub through Ministry of Panchayati Rajôs social media platforms to maintain the momentum of intensive common fight against COVID-19 at grass root level.

16. While addressing the Nation through Mann Ki Baat on 26/7/2020, Hon'ble Prime Minister also praised the rural regions for coming up as a beacon of guidance for the entire country during these tough times in the wake of COVID-19 pandemic.

*****

पंचायती राज मंत्रालय

जुलाई , 2020 के लिए मासिक सारांश

संविधान के 73 वें संशोधन की हिमायत, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) जिम्मेदार है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को समझने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है :

- वित्त आयोग निधियन के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और अभिसरण
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और वकालत/ समर्थन के कार्यों के माध्यम से समावेशी और भागीदारीपूर्ण तरीके से समग्र योजना

पंचायती राज मंत्रालय की जुलाई, 2020 के महीने की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण आयोजन का सारांश:

1. 15 जुलाई, 2020 को 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्य/ गतिविधियाँ करने के लिए 15 वें वित्त आयोग बद्ध अनुदानों की पहली किश्त की 15187.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। राज्यों को 15 वें वित्त आयोग अबद्ध और बद्ध अनुदानों की बाद की किश्तों की निर्मुक्ति के लिए सिफारिश करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सूचित किया गया है।

2. वैल्यू एडेड, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल ग्रामीण सब्जी वेंडिंग "स्मार्ट कार्ट" की परियोजना प्रस्ताव के लिए 9 जुलाई, 2020 को डॉ. केतकी बापट, वैज्ञानिक "एफ" ओ/ओ, पीएसए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई और पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी।

3. "ग्राम पंचायतों के लिए एफएफसी अनुदानों के प्रभाव का मूल्यांकन" पर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी), नई दिल्ली द्वारा 22.7.2020 को एक प्रस्तुति आयोजित की गई। अध्ययन के निष्कर्ष राज्यों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए और 15 वें वित्त आयोग द्वारा आगे के विचार के लिए भी उपयोगी होंगे।

4. यूनिसेफ की सहायता से जल, स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) की सेवा वितरण मानकों को लक्षित परिणामों के लिए 15 वें एफसी अनुदान का उपयोग करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्यों को संचलन की दिशा में स्थानीय ग्रामीण निकायों की

मदद करने के लिए विभिन्न डब्ल्यूएएस गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए मसौदा अनुबंध दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

5. गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) के अनुसरण में, छह राज्यों में 'ग्राम पंचायत भवन' (जीपीबी) के निर्माण और केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) काम के लिए अव्ययित 14 वें वित्त आयोग/ 15 वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय सभी छह राज्यों में इन दोनों गतिविधियों की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित कर रहा है । यह डैशबोर्ड ग्राम पंचायत भवनों और सीएफसी कार्य के निर्माण के विभिन्न चरणों की निगरानी और विस्तार में उपयोगी होगा।

6. जिला और मध्यवर्ती पंचायत योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव, डॉ० बाला प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 30.7.2020 को अपनी पहली बैठक की और जिला और मध्यवर्ती पंचायत योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने से संबंधित संभावित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उसी दिन, समिति ने राज्य के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग से बातचीत की। समिति ने राज्यों को जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तर और संबंधित दिशानिर्देशों में स्वयं के स्रोत (ओएसआर) की स्थिति के साथ योजनाओं की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा।

7. आरजीएसए के तहत 2020-2021 के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के तहत सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित राज्यों को 30.52 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई।

8. 15 वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, ग्राम पंचायतें वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं। लगभग 2,34,215 जीपीडीपी को संशोधित किया गया है और 05.8.2020 को ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया।

9. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का सख्ती से आग्रह कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता को बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों से आग्रह कर रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए 93% ग्राम पंचायतों ने अपनी महीने की किताबें बंद कर दी हैं और 88% ग्राम पंचायतों ने अपनी साल की किताबें बंद कर दी हैं।

10. इसके अलावा, 1,54,878 ग्राम पंचायतें प्रियासॉफ्ट -पीएफएमएस इंटरफ़ेस पर है; जिसमें से 1,03,957 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-20 के लिए 14 वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट -पीएफएमएस इंटरफ़ेस (पीपीआई) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है । वर्ष 2020-21 के लिए; ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके 1,12,149 ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन लेनदेन किया है।

11. स्वा□मत्व योजना 24 अ□ैल 2020 को □ामीण □े□□म□ □ोन सव□ ण प□ □त □वारा आबाद□ वाले (आबाद□) भू□म के सीमांकन के उ□े श्य से शु□ क□ गई थी। इससे गाँव म□ घर□ के मा□लक□ के पास गाँव□ म□ बसे हुए □ामीण □े□□म□ मकान रखने और संप□त्ति मा□लक□ को संप□त्ति काड□ जार□ करने हेतु 'अ□धकार□ का □रकॉड□ उपलब्ध होगा। इस संबंध म□, स्वा□मत्व योजना के काया□वयन के □लए सव□ ऑफ इं□डया और पंचायती राज मं□ालय के बीच समझौता □ापन पर ह□ता□र □कए गए ह□। इसके बाद, एमओपीआर, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच □□प□ीय एमओयू पर भी ह□ता□र □कए गए ह□। योजना क□ □ग□त के बारे म□ चचा□ करने के □लए पायलट चरण म□ रा□य□, सव□ ऑफ इं□डया और एनआईसी के साथ वी□डयो कॉ□□□स (वीसी) के मा□यम से एक बैठक आयोजित क□ गई। योजना के काया□वयन के □लए माननीय मं□ी, पंचायती राज □वारा संसद के सद□य□ (सांसद□) और पायलट रा□य□ के □वधायक□ (□वधायक□) को प□ भेजे गए ह□। योजना क□ ऑनलाइन □नगरानी के □लए डैशबोड□ भी जार□ □कया। उ□तर □देश के डीसी / डीएम के साथ ओ□रएंटेशन मी□टंग आयोजित क□ गई और □हंद□ म□ ओ□रएंटेशन □े□नंग वी□डयो भी साझा □कए गए, िजसम□ रा□य□ को पूर□ □□□या को प□रभा□षत □कया गया। योजना क□ □नय□मत सलाह और □ग□त क□ □नगरानी के □लए, रा□य□ और सव□ ऑफ इं□डया के साथ सा□ता□हक बैठक□ (क्लप □तय□ के मा□यम से) आयोजित क□ ग□। इसके अलावा, 2495 गांव□ म□ □ोन उड़ान पूर□ हो चुक□ है; िजसम□ से सव□ ण के डेटा का डेटा □सं□करण 1589 गांव□ के □लए और 761 गांव□ के □लए सु□वधा □नकासी का काम पूरा हो गया है। रा□य□ म□ □व□भ□न आईईसी ग□त□व□धयां भी शु□ हुई ह□।

12. इसके अलावा, जमीनी □तर पर पारद□श□ता और जवाबदेह□ को मजबूत करना; मं□ालय ने एक अनु□योग ï ऑ□डट ऑनलाइन को ई-पंचायत □मशन मोड □ोजे□ट (एमएमपी) के तहत शु□ □कया है। यह पंचायत खात□ के ऑनलाइन ऑ□डट क□ अनुम□त देता है और आंत□रक और बाहर□ ऑ□डट के बारे म□ □व□तृत जानकार□ दज□ करता है। इस संबंध म□, रा□य□ को सहायता □दान करने के □लए कई ऑनलाइन □□श□ण और ह□ड-हो□□डंग स□ आयोजित □कए गए ह□। 11 रा□य□ (असम, गुजरात, ह□रयाणा, □हमाचल □देश, झारखंड, मध्य □देश, राज□थान, □स□□कम, तेलंगाना, □□पुरा और उ□तराखंड) को □□श□ण □दान □कया गया है। पायलट के □प म□, ऑ□डट ऑनलाइन का उपयोग □व□त वष□ 2019-20 के □लए 14 व□ □व□त आयोग के □लए पंचायत खात□ के ऑ□डट के □लए □कया जाएगा। रा□य□ के □लए ऑ□डट ऑनलाइन पर लाइव होने के □लए, रा□य□ को पूव□-अपे□□त ऑ□डट □लो, पदानु□म डेटा, जो□खम-आधा□रत □े□णयां आ□द □दान करना है। झारखंड, तेलंगाना, □□पुरा, □हमाचल □देश, ह□रयाणा, छ□तीसगढ़, मध्य □देश, अ□णाचल □देश, □स□□कम, पंजाब, महारा□□, ज□मू और क□मीर, गुजरात और गोवा राज्य□ से जानकार□ □ाप्त क□ गई है। तेलंगाना, झारखंड, □□पुरा, □हमाचल □देश और अ□णाचल □देश के □लए 14 व□ □वत्त आयोग खात□ क□ लेखा पर□□ा के □लए ऑ□डटस□ का पंजीकरण और ऑ□डट योजना तैयार करने का काम चल रहा है।

13. ई-गवन□स अनु□योग□ को बहुभाषी तैयार करने और एलजीडी आवेदन म□ लं□बत □वसंग□त को हल करने के □लए □थानीय भाषा म□ रा□य, जिला, गांव□, आरएलबी, यूएलबी आ□द जैसे सभी स्थान□ के नाम अपडेट करने के □लए रा□य□ के साथ एक वी□डयो कॉ□□□□संग आयोजित क□ गई थी।

14. पंचायती राज मं□ालय क□ पहल (i) पंचायती राज मं□ालय के □लए संकल्प (आजी□वका हेतु कौशल अ□ध□हण और □ान जाग□कता के □लए पहल) लाने के □लए 24/7/2020 को पंचायती राज मं□ालय (एमओपीआर) और कौशल □वकास और उ□य□मता मं□ालय (एमएसडीई) के बीच समझौता □ापन पर हस्ता□र □कए गए और (ii) □वत्त मं□ालय □वारा □ामीण स्थानीय □नकाय□(आरएलबीज) को 15/7/2020 को पं□हव□□वत्त आयोग (एफएफसी) अनुदान□क□ब□ अनुदान क□पहल□□कस्त के □प म□ 15,187.50 करोड़ □पये के आबंटन को सोशल मी□डया के माध्यम से व्यापक □प से □चा□रत □कया गया।

15. थोक (ब□क) एसएमएस के मा□यम से 2.5 लाख □ाम पंचायत□को □ाम पंचायत वार कृ□ष □कसान□क□मृदा □वा□□य काड□क□ऑनलाइन उपल□धता के बारे म□बताया गया । स्वास्थ्य और प□रवार कल्याण मं□ालय और ôमाई जीओवीô कोरोना हब पंचायती राज मं□ालय के सोशल मी□डया के माध्यम से को□वड-19 के □खलाफ जमीनी स्तर पर गहन लड़ाई क□ग□त को बनाए रखने के □लए पंचायती राज मं□ालय ने लगातार सकारात्मक व्यवहार प□रवत□न अ□भयान **"बदलकर अपना □यवहार, कर□कोरोना पर वार"** पर आईईसी साम□ी को साझा □कया।

16. माननीय □धान मं□ी ने 26/7/2020 को ôमन क□बातô के मा□यम से राष्□ को संबो□धत करते हुए, को□वड-19 महामार□के इस क□ठन समय के दौरान पूरे देश के माग□दश□न के □लए □ामीण □`□□क□□शंसा क□।

*****